



ई-मैल द्वारा

पत्रांक- १३९५

प्रियापन 2023-24

दिनांक- १०-१०-२०२३

सेवा में

अनुष्ठा एडवरटाइजर्स,
वालिया कौमगालैवर्स, नियर साई अरपताल,
मुखानी चौराहा हल्द्वानी
जिला-नैनीताल।

विषय:- विज्ञापन प्रकाशन को सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया निम्न सूचना/विज्ञापन को डी0ए0यी0पी0 शासकीय दरों पर छूट के साथ 8x5 सेमी0 स्पेस के आकार में दि0-11/10/2023 को दैनिक अगर उजाला, दैनिक जागरण एवं दैनिक हिन्दुस्तान के कुमाऊं संस्करण समाचार पत्रों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के मौनोग्राम सहित प्रकाशित करने की कृपा करें। भुगतान विल दो प्रतियों में "प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर" के नाम से "**GSTN:- 05AAALU0009MOZG**" अंकित कर अखबार के पृष्ठ की प्रति सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने का काट करें।



कार्यालय- प्रधानीय प्रबन्धक स्थल ग्रामपाल

उत्तराखण्ड वन विकास निगम खनन प्रभाग-शामिलगढ़ (दैनीकाल)

e-mail : prabharikhanan37@gmail.com PH: - 05947-254522

पेयजल एवं जल छिड़काव हेतु निविदा शब्दना-

उत्तराखण्ड वन विकास निगम खनन प्रभाग रामनगर ज़िला-नैनीताल के अन्तर्गत कोसी एवं दाबका नदियों के समस्त उपखनिज निकासी गेटों (दाबका, कालमिंद, खड़जा, कठियापुल, बंजारी प्रथम एवं बंजारी द्वितीय) में खनन सत्र 2023-24 के दौरान कर्मधारियों एवं अग्नियों को पीने के पानी तथा गेटों के आस-पास पूल एवं प्रदूषण से बचाव हेतु जल छिड़काव बायबत निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति/कर्मी ये सील बन्द निविदायें पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 25/10/2023 के साथ 500 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 26/10/2023 के अपराह्न 02:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधिकृत समिति द्वारा खोली जायेगी। दिनांक 24/10/2023 से समस्त निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाईट <http://www.uafde.in/tenders.html> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

प्रभागीय प्रबन्धक खनन
रामनगर - नैनीताल।

(अशोक कमार) प्रभागीय प्रबन्धक खनन प्रभाग,
उत्तराखण्ड की विकास निगम
समनगर - नीनीताल।

पत्रांक:- १३९५ / उक्त दिवालि।

प्रतिलिपि:- गिन्नलिखित की सेवा में सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाती हैत प्रेसिल

- प्रबन्ध निदेशक, उ० वर्ष विकास निगम, देहरादून।
 - महा प्रबन्धक (कु०मण्डल), उ० वर्ष विकास निगम, हल्दानी।
 - श्रीराय प्रबन्धक (प०दो०), उत्तराखण्ड वर्ष विकास निगम, रामनगर (नैनीताल)।
 - प्रगामीय लौ० प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वर्ष विकास निगम, पूर्णी रामनगर (नैनीताल)।
 - आईटी० सेल मुख्यालय, उ० वर्ष विकास निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेरित कि शीघ्र निविदा प्रपत्रों को उत्तराखण्ड वर्ष विकास निगम द्वारा पैवड़ाइट पर टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
 - अनुग्राम अधिकारी कोर्सी/दावका खान प्रगाम रामनगर को इस आशय से प्रेरित की आप आपने अधीनस्थ गेटो पर भी गृहद प्रधार-प्रधार करना सुनिश्चित करें।
 - सेवा शाखा, प्रगामीय कायालय, खनन प्रगाम, रामनगर।
 - नोटिस बोर्ड प्रगामीय कायालय, खनन प्रगाम, रामनगर।

(अशोक कामार))
प्रामाणीय प्रवचन, खनन प्रभाग,
एतराखण्ड यन विकास निगम
शास्त्रान्वार — शैगंगीताल।

खनन सत्र 2023-24 अथवा EC व FC समाप्ति की तिथि तक जो पहले हो
 खनन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत कोसी एवं दाबका नदी में उपखनिज गेटों
 हेतु शुद्ध पेयजल आपूर्ति तथा गेटों में छिड़काव हेतु निविदा फार्म
 (फार्म मूल्य- ₹ 1180.00 जी०एस०टी० सहित)

1. निविदादाता की जी०एस०टी० संख्या -

2. स्थायी खाता संख्या (PAN).....

3. आधार संख्या.....

4. जमा अर्नेस्ट मनी का विवरण:-

एफ०डी०आर रांख्या बैंक का नाम शाखा.....

दिनांक धनराशि.....

कार्य विवरण	गेट का नाम	टैकर वाहन की पंजीकरण संख्या (आर० सी० मे दर्ज)	निविदा दर रूपये प्रति घक्कर समस्त व्ययों व 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित	
			अंकों मे	शब्दों मे
वाणिज्यिक (Commercial) ट्रैक्टर-टैकर अधारा ट्रक-टैकर से दाबका, कालूरिस्ट, खड़जा, कठियापुल, बंजारी प्रथम व बंजारी द्वितीय गेट के आस-पास आवश्यकतानुसार पानी छिड़काव तथा पेयजल आपूर्ति ।	दाबका			
	कालूरिस्ट			
	खड़जा			
	कठियापुल			
	बंजारी प्रथम			
	बंजारी द्वितीय			

नोट:-

- उपरोक्त में जिस गेट हेतु दरें देनी हैं उसी गेट के आगे निविदा दर का उत्तेक्षण किया जाए।
- मेरे/हमारे द्वारा निविदा शर्तों 1 से 39 तक भली-भांति पढ़ एवं समझ ली गयी हैं। उक्त निविदा शर्तों के साथ ही शासन एवं दन विभाग/दन विकास निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के पालन हेतु बाध्य रहूंगा/रहेंगे।

निविदादाता का नाम / हस्ताक्षर/मोहर

निविदादाता का पूरा पता

फोन नं०/मो०

इनका: 2

खनन सत्र 2023-24 अथवा EC व FC समाप्ति की तिथि तक जो पहले हो खनन प्रभाग रामनगर के अन्तर्गत उपखनिज निकासी गेटों में पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव हेतु आमन्त्रित निविदा की शर्ते एवं कार्य विवरण:-

रामनगर खनन प्रभाग के अन्तर्गत खनन सत्र 2023-24 में नदी क्षेत्र में उपखनिज घुग्नान के कार्य में लगे भूमिकों, कार्यरत कर्मचारियों, वाहन चालकों आदि को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल आपूर्ति एवं धूल बधाव के लिये उपखनिज निकासी गेटों के आस-पास वाहन मार्ग पर पानी छिड़काव हेतु इच्छुक उत्तमियों से निविदाएं दिनांक-25अक्टूबर 2023 राय 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक/रीड पोर्ट से आमन्त्रित किये जाते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक- अक्टूबर 2023 को अपराह्न 02:00 बजे उपरित निविदादाताओं/पतिनिधियों के समक्ष अधिकृत समिति/ नामित प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निविदा फार्म एवं शर्ते दिनांक-12अक्टूबर 2023 से उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाइट <http://www.uafdc.in/tenders.html> से डाउनलोड कर सकते हैं निविदा शुल्क ₹0 1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी रु0) जी०एस०टी० सहित का बैंक ड्रापट जो प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर के पदनाम जारी हो का निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, निविदाएं निर्धारित समय तक कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य है।

कार्य विवरण:-

क्र० सं०	प्रभाग का नाम	कार्य विवरण/गेट का नाम	अनुमानित आवश्यकता	अर्नेस्ट मनी (रु० में)
1	खनन प्रभाग रामनगर	दावका, कालूसिद्ध, खड़जा, कठियापुल, बंजारी प्रथम व बंजारी द्वितीय गेट के आस-पास आवश्यकतानुसार पानी छिड़काव तथा पेयजल आपूर्ति ।	प्रत्येक गेट हेतु प्रतिदिन 01 चक्कर पीने हेतु एवं 01 चक्कर छिड़काव हेतु।	रु०-20000.00 (वीस हजार) मात्र (राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा / F.D.R)

निविदा हेतु शर्तेः-

- उपरोक्त में इस प्रभाग के गेटों हेतु प्रति चक्कर जिसमें पानी छिड़काव एवं पेयजल आपूर्ति दोनों के लिये एक समान दरें देनी होंगी। निर्धारित निविदा शुल्क ₹0 1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी) जी०एस०टी० सहित का बैंक ड्रापट तथा निर्धारित अर्नेस्ट मनी ₹0 20000.00 (वीस हजार) मात्र की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर जमा करनी आवश्यक है, अन्यथा निविदा प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दी जाएगी तथा निविदा को अमान्य घोषित किया जायेगा।
- निविदा जमा करने हेतु पता "प्रभागीय प्रबन्धक खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग रामनगर, आमडण्डा डिपो परिसर" है।
- निविदा दर रूपये प्रति चक्कर में समस्त व्ययों व जी०एस०टी० सहित देनी है, निविदा दरें निर्धारित प्रारूप में देना आवश्यक है। यह दरें जी०एस०टी० सहित होंगी तथा सम्पूर्ण खनन सत्र 2023-24 के लिये लागू गानी जायेगी तथा इस अवधि में दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर तिथि अगला कार्य दिवस होगी।
- शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का है। यदि सरकार/खाद्य विभाग द्वारा किए गए परीक्षण में किसी प्रकार की अशुद्धि/गन्दगी पायी जाती है तो निविदादाता का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा तथा निविदादाता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- जल आपूर्ति टैकर वाहनों का वाणिज्यिक (Commercial) श्रेणी का होना आवश्यक है।
- पेयजल एवं जल छिड़काव हेतु आपूर्ति उपखनिज निकासी कार्य आरम्भ होने से खनन सत्र की समाप्ति अथवा पर्यावरणीय स्थीकृति/वन स्थीकृति की समाप्ति की तिथि जो पहले हो (राजकीय एवं स्थानीय अवकाश दिवस को छोड़कर) तक करनी होगी।
- सफल निविदादाता का उत्तरदायित्व है कि वे गोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नियमों का समुचित पालन करें, किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर यदि परिवहन विभाग या पुलिस विभाग द्वारा चालान /कार्यवाही की जाती है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

8. जल छिड़काव टैंकर वाहन द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता/आपूर्तिकर्ता का होगा। वन विकास निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
9. यदि निविदादाता/फर्म द्वारा टैंकर वाहन अनुबन्ध पर लिया गया है तो अनुबन्ध की नोटराइज्ड प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है। निविदादाता/फर्म का स्वयं का टैंकर वाणिज्यिक वाहन होने पर वरीयता दी जायेगी। समस्त प्रपत्र नोटरी से प्रमाणित कराने अनिवार्य हैं।
10. निविदादाता को निविदा के साथ आपूर्ति टैंकर वाहन के आर०सी०, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी०एस०टी पंजीकरण नोटरी से प्रमाणित कराकर छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी तथा उसका पंजीकरण नंबर निविदा फर्म में अंकित करना होगा। टैंकर वाहन की आर०सी० तथा प्रपत्रों में यदि किसी प्रकार की असत्यता पायी जाती है तो कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। निविदादाता की जिम्मेदारी है कि अस्पष्ट प्रपत्र संलग्न न किये जाएं। मांगे जाने पर उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
11. प्रत्येक गेट पर तथा उपर्यन्ति चुगान क्षेत्र में पूरे दिन पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था टैंकर वाहन के माध्यम से करना निविदादाता/आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी है। टैंकर वाहन में स्वच्छ व शुद्ध पेयजल हो तथा टैंकर वाहन टैंब वाला हो जिससे पानी निकालने या पीने में असुविधा न हो, यह भी निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। निविदादाता/आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक दिन टैंकर वाहन की साफ-सफाई की व्यवस्था कराएगा। पेयजल में सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर क्लोरीन टैबलेट अथवा ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाय।
12. एक टैंकर वाहन द्वारा छिड़काव हेतु प्रयोग अधिकतम दो निकटतम गेटों पर ही किया जा सकता है, दो निकटतम गेट इस प्रकार होंगे—1. बंजारी प्रथम तथा बंजारी द्वितीय 2. खड़ंजा तथा कठियापुल 3. कालूसिंदू तथा दाबका।
13. निविदा निर्धारित प्रपत्र में एक ही रखाही तथा एक ही लिपि में लिखी होनी आवश्यक है। कटिंग व ओवर राइटिंग मान्य नहीं है।
14. निविदा सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए। लिफाफे के ऊपर “पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव” लिखा होना आवश्यक है।
15. निविदादाता (व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संस्था/समिति) द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु सील बंद निविदा निर्धारित फार्म में स्वहस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेपित की जानी है।
16. दिलम्ब से प्राप्त निविदा के लिये उत्तराखण्ड वन विकास निगम उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जाएगा।
17. टैंकर वाहन की क्षमता न्यूनतम 4000 लीटर होना आवश्यक है। निविदा स्वीकृति का आधार न्यूनतम निविदा होगी।
18. यदि किसी गेट हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा दर अधिक प्रतीत होगी तो दरों में नैगोशिएशन किया जाएगा।
19. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/एस०टी०डी०आर० जो कि “प्रभागीय प्रबन्धक खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम रामनगर” के पदनाम बंधक हो, को संलग्न करना अनिवार्य है। विना अर्नेस्ट मनी के निविदा प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दी जायेगी।
20. विना निर्धारित अर्नेस्ट मनी के निविदा प्रथम दृष्टया अर्थीकृत कर दी जायेगी।
21. सफल निविदादाता को वारिश के दिन एवं अयकाश के दिन पानी छिड़काव की आवश्यकता नहीं है एवं यदि करता है तो उसका भुगतान नहीं दिया जाएगा।
22. मौके पर पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव वन विकास निगम के राम्बनित अनुभाग अधिकारी अथवा गेट इचाजे की देखरेख एवं उनकी गांग के अनुसार करना होगा। सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सांलोगजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
23. निविदादाता को भुगतान से पूर्व अपना बिल (Invoice) प्रस्तुत करना होगा। तभी भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
24. सशर्त निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
25. ट्रैक्टर-टैंकर वाहनों अथवा ट्रैक-टैंकरों को कार्य की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित दबकर से अधिक/कम घबकर लगाने पड़ सकते हैं, जिसका घबकरों को हिराव से भुगतान स्वीकृत दरों पर किया जायेगा।

लग्नम्: - ०६

26. आपूर्ति टैकर वाहन को समय-समय पर सैनेटाईज किया जाना अनिवार्य है तथा वाहन में पर्याप्त एल्कोहल बेरड सैनेटाईजर रखा जाय। वाहन चालक तथा सहयोगी रटाफ द्वारा मास्क पहनकर ही आपूर्ति की जाये।
27. सफल निविदादाता को पेयजल आपूर्ति एवं छिडकाव का आदेश एवं भुगतान अनुभाग अधिकारी की सहस्रति पर किया जायेगा।
28. भुगतान में नियमानुसार स्रोत पर आयकर व अन्य करों की कटौती की जायेगी।
29. सफल निविदादाता को कार्यदेश जारी होने से पूर्व कार्य का अनुबन्ध करना होगा तथा जमानत राशि ₹0 10000.00 (रूपया दस हजार मात्र) प्रति गेट की दर से जमा करनी होगी। जमानत राशि एफ०डी०आर० राष्ट्रीयकृत बैंक की होगी जो प्रभागीय प्रबन्धक खनन के पदनाम बन्धक हो के रूप में जमा की जाएगी। जमानत की धनराशि जमा न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी को जब्त कर लिया जायेगा तथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
30. सफल निविदादाता को गेटों में किये गये कार्य का भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर तथा कार्यालय में धनराशि उपलब्धता के आधार पर बैंक से किया जायेगा। किसी भी प्रकार की कार्य के प्रति लापरवाही तथा समय पर कार्य सम्पन्न न करने पर भुगतान नहीं किया जायेगा तथा जमानत जब्त कर ली जायेगी।
31. सफल निविदा दाता द्वारा कभी किसी भी परिस्थिति में पेयजल एवं छिडकाव की आपूर्ति सुधारु रूप से न करने पर ₹0 2000.00 प्रति गेट प्रति दिन की दर पर अर्थदण्ड वसूल किया जायगा।
32. कार्य विवरण उपरोक्तानुसार अनुमानित है, किन्तु कभी/वृद्धि सम्भावित है। तत्कालिक वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कार्यदेश जारी किया जायेगा। वास्तविक कार्य के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
33. निविदा न्यूनतम दर के आधार पर रथीकृत वी जायेगी, किन्तु किसी की निविदा को घिना कारण बताए रथीकार/अस्थीकार करने का अधिकार उत्तराखण्ड बन विकास निगम के पास सुरक्षित है।
34. निविदादाता के शासकीय संस्थान/संस्था/विभाग में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्य में वरीयता दी जायेगी।
35. निविदा आशिक या पूर्ण रूपेण किसी स्तर पर निरस्त/स्थगित होने की दशा में कोई वलेम/प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश अथवा अन्य कारणों से पेयजल/छिडकाव हेतु जल की आवश्यकता न होने पर कार्य न कराये जाने पर कार्यदायी संस्था को कोई क्षतिपूरक भुगतान नहीं किया जायेगा तथा न ही कोई वलेम मान्य होगा।
36. कार्यदेश एकमुक्त या किश्तों में जारी किया जा सकता है। कार्यदेश के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पेयजल आपूर्ति करनी होगी। निर्धारित समयावधि में आपूर्ति न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमानत जब्त कर ली जायेगी। बन निगम किसी अन्य से कार्य कराने हेतु रखत्र नहीं होगा।
37. खनन सत्र समाप्त होने के उपरान्त पेयजल आपूर्ति एवं पानी छिडकाव कार्य का सम्बन्धित कर्मचारी एवं अनुभाग अधिकारी से संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बन्धक धनराशि वापस की जायेगी। सफल निविदादाता द्वारा उल्लेखित शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में उनके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि को जब्त करने का अधिकार प्रभागीय प्रबन्धक खनन को होगा।
38. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय प्रबन्धक (प०क्ष०), उत्तराखण्ड बन विकास निगम, रामनगर आर्थिक्ट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
39. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal Jurisdiction) नैनीताल जनपद में होगा।

प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड बन विकास निगम
रामनगर-नैनीताल